भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2601
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

जिलों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव

2601. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सभी कौशल विकास/प्रशिक्षण योजनाओं /पहलों का मंत्रालयवार वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जहां कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौशल घटक के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार, योजनावार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कौशल घटक के लिए वर्षवार, राज्यवार और योजनावार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे जिलों में जहां ऐसी सुविधाओं का अभाव है, वहां कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के अभाव को दूर करने के लिए अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण

योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से, आन्ध्रप्रदेश राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है, उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण विकास के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ी बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यस्थल प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

एमएसडीई के अलावा, 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल/कौशलोन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरईएसटीआई), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आदि, लागू कर रहे हैं।

(ग) कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सहित एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजना के तहत निधियां निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। जेएसएस योजना के तहत निधियां सीधे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की जा रही हैं। एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दैनन्दिन का अभिशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अभिशासन के पास है। विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सहित एमएसडीई की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने संबंधित क्षेत्रों में उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। ओडिशा राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिकार है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करती है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करती है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को पाटने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं। एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और प्रशिक्षण केंद्रों/प्रशिक्षण भागीदारों को आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अनुबंध-I

'जिलों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1259	1464	613	310	648
आंध्र प्रदेश	105667	66404	13199	5798	32421
अरुणाचल प्रदेश	15700	51991	8884	667	4152
असम	198896	362506	24517	8721	38189
बिहार	191902	96288	47643	12213	23583
चंडीगढ़	9507	3834	893	491	319
छत्तीसगढ	46548	16151	9495	4356	8367
दिल्ली	146205	55121	19965	2262	10686
गोवा	4300	1709	604	176	183
गुजरात	155195	48489	35001	6503	19975
हरियाणा	175386	54719	18191	8963	27365
हिमाचल प्रदेश	48870	15612	8724	3539	5348
जम्मू और कश्मीर	122659	58927	21339	7352	28875
झारखंड	120103	15452	34233	5302	8796
कर्नाटक	165247	53066	23153	8410	13025
केरल	78523	31077	12968	5673	8802
लद्दाख	1937	181	731	246	445
लक्षद्वीप	60	90	120	0	0
मध्य प्रदेश	223483	95403	46659	21345	34833
महाराष्ट्र	637002	148352	39864	14913	35257
मणिपुर	28962	34540	6424	1146	2879
मेघालय	11999	17769	3406	1245	2502
मिजोरम	10837	11433	4742	1162	3533
नागालैंड	17364	14399	4184	1803	3830
ओडिशा	239050	68828	12645	12116	21428
पुदुचेरी	7172	3241	1622	689	1556
पंजाब	97681	57054	18539	7568	11816
राजस्थान	446900	97822	38511	9232	23551
सिक्किम	5123	3634	1322	381	2802
तमिलनाडु	185108	72404	29057	8029	34507
तेलंगाना	108145	33999	13107	8040	15390
डीएनएच और डीडी	5338	222	252	31	301
त्रिपुरा	50388	46676	4490	1608	5081
उत्तर प्रदेश	656829	239286	69015	25568	71530
उत्तराखंड	68250	29412	10522	2942	11584
पश्चिम बंगाल	177880	53221	31406	12370	25766

(ख) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार	0	0	900	1800	1800
आंध्र प्रदेश	10901	8580	11699	16200	10800
अरुणाचल प्रदेश	570	0	0	0	0
असम	9243	8883	9139	12600	9000
बिहार	22708	16314	28769	56594	37786
चंडीगढ़	1836	1120	1600	2700	1800
छत्तीसगढ	13483	10480	18151	37777	23376
डीएनएच और डीडी	1558	897	2379	3255	3179
दिल्ली	5487	4940	5440	8099	5398
गोवा	1741	1664	1740	2700	1800
गुजरात	18640	16840	19228	23917	14160
हरियाणा	9002	8705	8939	10728	7181
हिमाचल प्रदेश	1400	1504	8424	28244	18630
जम्मू और कश्मीर	3429	3554	2396	500	1020
झारखंड	5383	4424	9964	25220	22439
कर्नाटक	16201	15525	18735	31492	21532
केरल	16247	13900	16148	24300	16198
लद्दाख	0	0	0	600	212
लक्षद्वीप	0	0	0	1481	1772
मध्य प्रदेश	50449	45501	52222	70259	49089
महाराष्ट्र	38023	35102	38479	52934	37273
मणिपुर	5387	5327	6285	10278	7197
मेघालय	0	0	0	1660	1800
मिजोरम	0	0	900	2472	1800
नागालैंड	1800	1800	1812	1999	2631
ओडिशा	30677	25820	40635	71765	50828
पंजाब	3434	1607	3567	4138	3560
राजस्थान	9069	9493	12443	20651	14831
तमिलनाडु	14244	11727	14045	19784	14780
तेलंगाना	12452	8497	10398	15639	10300
त्रिपुरा	1631	1101	2610	5397	3600
उत्तर प्रदेश	85436	77335	88648	122510	84573
उत्तराखंड	10776	8800	12433	20687	14393
पश्चिम बंगाल	14125	10356	13868	17904	12599

(ग) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	3	9	41	48
आंध्र प्रदेश	3860	4394	15722	16203	21701
अरुणाचल प्रदेश	0	3	18	42	65
असम	2204	2452	14006	9661	8173
बिहार	1155	1237	6476	5543	5317
चंडीगढ़	346	280	813	671	1227
छत्तीसगढ	5637	1653	2660	4881	5259
दिल्ली	4937	7784	17799	15818	15956
गोवा	1720	2032	3432	4406	11882
गुजरात	45107	56911	69567	76226	83955
हरियाणा	18920	31853	42343	62865	66720
हिमाचल प्रदेश	1898	1767	5669	6825	10212
जम्मू और कश्मीर	304	260	832	989	859
झारखंड	2133	5034	8258	9152	11882
कर्नाटक	13764	17276	42084	58523	78456
केरल	3899	6426	8975	11275	13104
लद्दाख	0	6	18	28	66
लक्षद्वीप	0	18	4	9	6
मध्य प्रदेश	6942	9522	17093	21205	22707
महाराष्ट्र	36617	71475	146865	185999	263245
मणिपुर	16	11	90	32	18
मेघालय	51	105	117	181	212
मिजोरम	4	1	4	4	12
नागालैंड	14	1	27	22	15
ओडिशा	3391	3681	8296	10458	10755
पुदुचेरी	481	299	1090	1343	2469
पंजाब	2856	4459	11659	15361	14761
राजस्थान	4073	6417	9473	15204	18230
सिक्किम	128	162	308	202	298
तमिलनाडु	13602	24912	49929	72311	101553
तेलंगाना	9654	13996	38454	31821	37774
डीएनएच और डीडी	97	597	1282	1006	2878
त्रिपुरा	437	255	244	368	383
उत्तर प्रदेश	12584	19955	38039	56946	71504
उत्तराखंड	2489	4360	9986	16436	21058
पश्चिम बंगाल	6149	7370	18791	26109	29538

(घ) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	441	619	531	450	481
आंध्र प्रदेश	**56264**	**49142**	**45612**	**48110**	**50568**
अरुणाचल प्रदेश	564	577	497	674	735
असम	2965	3210	3500	3548	5325
बिहार	112408	105030	110399	90377	125577
चंडीगढ़	968	831	910	907	1083
छत्तीसगढ	21831	19571	22320	20816	24226
दिल्ली	9757	8672	8774	9261	10266
गोवा	1727	1742	2080	2126	2256
गुजरात	69531	85391	81236	84648	98454
हरियाणा	53251	54275	49032	45161	54944
हिमाचल प्रदेश	22203	17923	20332	22691	23437
जम्मू और कश्मीर	4396	7545	8062	8130	8504
झारखंड	33463	25626	29760	35573	40103
कर्नाटक	73714	54244	66238	73019	78663
केरल	35201	31632	35493	34741	33222
लद्दाख	151	118	171	326	368
लक्षद्वीप	246	435	374	303	360
मध्य प्रदेश	73278	71096	63306	69194	73223
महाराष्ट्र	110734	102680	112997	121884	128333
मणिपुर	80	82	108	668	812
मेघालय	512	514	508	738	714
मिजोरम	274	242	256	334	396
नागालैंड	228	222	186	267	240
ओडिशा	49043	49694	57401	54005	65801
पुदुचेरी	789	687	689	737	796
पंजाब	39747	47590	39992	39986	43994
राजस्थान	136224	101614	95342	99263	109595
सिक्किम	207	260	181	424	312
तमिलनाडु	35024	27315	28496	35078	41168
तेलंगाना	32775	29468	27183	26480	29557
डीएनएच और डीडी	319	318	443	666	908
त्रिपुरा	1497	2043	1603	2470	2462
उत्तर प्रदेश	336119	279998	273714	269106	333601
उत्तराखंड	11052	8344	8918	10807	11542
पश्चिम बंगाल	32506	30696	29207	37711	44221

अनुबंध-II

विगत पांच वर्षों के दौरान कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

						करोड़ रु. में
क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.88	1.15	0.59	0.075	0.03
2	आंध्र प्रदेश	42.46	34.04	9.55	3.16	35.71
3	अरुणाचल प्रदेश	9.56	14.46	10.11	1.49	5.35
4	असम	59.83	75.20	53.46	11.01	43.28
5	बिहार	92.36	62.41	55.8	15.82	31.97
6	चंडीगढ़	2.47	0.91	0.49	0.26	0.61
7	छत्तीसगढ	27.90	7.19	3.98	2.48	13.02
8	डीएनएच और डीडी	2.32	0.33	0.18	0.01	0.26
9	दिल्ली	39.43	48.63	3.52	3.6	12.63
10	गोवा	0.58	0.06	0.04	0.06	0.24
11	गुजरात	47.55	27.01	9.04	3.36	16.29
12	हरियाणा	63.39	35.57	8.66	3.93	26.91
13	हिमाचल प्रदेश	29.13	14.05	5.44	2.81	9.41
14	जम्मू और कश्मीर	43.88	35.83	16.52	16.79	34.91
15	झारखंड	30.63	10.86	9.45	4.95	13.31
16	कर्नाटक	52.51	45.28	11.69	3.48	18.39
17	केरल	17.35	11.11	6.63	4.64	11.23
18	लक्षद्वीप	-	-	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	117.53	63.67	45.04	19.24	51.25
20	महाराष्ट्र	180.21	104.65	25.46	7.1	43.21
21	मणिपुर	10.53	18.30	7.62	2.06	7.05
22	मेघालय	9.31	5.31	2.92	0.45	2.96
23	मिजोरम	5.62	5.74	3.1	0.81	3.06
24	नागालैंड	3.37	3.18	1.74	3.09	3.88
25	ओडिशा	78.97	44.02	14.5	5.41	20.22
26	पुदुचेरी	2.50	2.68	1.27	0.49	2.67
27	पंजाब	61.10	29.93	10.9	5.19	27.27
28	राजस्थान	101.76	68.14	35.3	10.4	63.46
29	सिक्किम	3.78	3.31	1.65	0.85	3.15
30	तमिलनाडु	47.15	31.66	11.04	5.4	41.52
31	तेलंगाना	41.36	24.13	9.38	3.66	24.48
32	त्रिपुरा	9.77	21.57	8.52	1.6	5.72
33	उत्तर प्रदेश	214.61	133.05	66.65	19.08	97.6
34	उत्तराखंड	28.98	12.74	6.72	4.79	13.75
35	पश्चिम बंगाल	70.65	31.49	18.36	6.11	25.1
36	लद्दाख	-	0.12	0.26	0.337	1.02

(ख) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

करोड़ रु. में

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान एवं निकोबार	-	3.12	0.45	0.50	0.50
आंध्र प्रदेश	2.75	-	3.03	3.31	3.36
अरूणाचल	0.50	2.46	-	-	-
असम	2.47	5.34	2.91	2.74	2.74
बिहार	6.19	0.49	9.25	11.90	11.69
चंडीगढ़	0.51	3.07	0.42	0.52	0.56
छत्तीसगढ़	3.42	0.48	6.70	7.61	7.34
डीएनएच और डीडी	0.48	-	0.82	0.95	0.96
दिल्ली	-	1.48	-	-	-
गोवा	1.50	0.50	1.44	1.68	1.68
गुजरात	0.50	5.00	0.48	0.56	0.55
हरियाणा	4.83	2.50	5.12	4.79	4.48
हिमाचल प्रदेश	2.50	0.76	2.45	2.15	2.20
जम्मू कश्मीर	0.25	0.88	4.77	5.71	5.72
झारखंड	0.96	1.30	1.15	0.13	0.25
कर्नाटक	1.44	4.38	5.32	5.72	6.31
केरल	4.30	4.37	5.60	6.51	6.63
लद्दाख	4.41	-	4.17	5.01	5.04
लक्षद्वीप	-	-	0.57	0.46	0.25
मध्य प्रदेश	-	12.87	0.20	0.50	0.46
महाराष्ट्र	13.58	9.78	14.28	14.94	15.03
मणिपुर	10.39	1.50	10.17	11.31	11.46
मेघालय	1.50	-	1.94	2.23	2.18
मिजोरम	-	-	0.20	0.50	0.50
नगालैंड	-	0.50	0.45	0.56	0.52
ओडिशा	0.50	8.01	0.95	0.64	0.63
पंजाब	8.16	0.97	13.23	15.38	15.19
राजस्थान	1.00	2.51	0.75	1.05	0.99
तमिलनाडु	2.49	3.36	4.06	4.29	4.52
तेलंगाना	3.92	2.93	3.19	4.06	4.32
त्रिपुरा	3.18	0.48	2.74	3.20	3.24
उत्तर प्रदेश	0.46	22.05	0.84	1.07	1.02
उत्तराखंड	22.84	2.72	22.99	25.79	26.03
पश्चिम बंगाल	2.95	3.87	3.46	4.64	4.34

(ख) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान एवं निकोबार	0	0	900	1800	1800
आंध्र प्रदेश	10901	8580	11699	16200	10800
अरुणाचल प्रदेश	570	0	0	0	0
असम	9243	8883	9139	12600	9000
बिहार	22708	16314	28769	56594	37786
चंडीगढ़	1836	1120	1600	2700	1800
छत्तीसगढ	13483	10480	18151	37777	23376
डीएनएच और डीडी	1558	897	2379	3255	3179
दिल्ली	5487	4940	5440	8099	5398
गोवा	1741	1664	1740	2700	1800
गुजरात	18640	16840	19228	23917	14160
हरियाणा	9002	8705	8939	10728	7181
हिमाचल प्रदेश	1400	1504	8424	28244	18630
जम्मू और कश्मीर	3429	3554	2396	500	1020
झारखंड	5383	4424	9964	25220	22439
कर्नाटक	16201	15525	18735	31492	21532
केरल	16247	13900	16148	24300	16198
लद्दाख	0	0	0	600	212
लक्षद्वीप	0	0	0	1481	1772
मध्य प्रदेश	50449	45501	52222	70259	49089
महाराष्ट्र	38023	35102	38479	52934	37273
मणिपुर	5387	5327	6285	10278	7197
मेघालय	0	0	0	1660	1800
मिजोरम	0	0	900	2472	1800
नागालैंड	1800	1800	1812	1999	2631
ओडिशा	30677	25820	40635	71765	50828
पंजाब	3434	1607	3567	4138	3560
राजस्थान	9069	9493	12443	20651	14831
तमिलनाडु	14244	11727	14045	19784	14780
तेलंगाना	12452	8497	10398	15639	10300
त्रिपुरा	1631	1101	2610	5397	3600
उत्तर प्रदेश	85436	77335	88648	122510	84573
उत्तराखंड	10776	8800	12433	20687	14393
पश्चिम बंगाल	14125	10356	13868	17904	12599

(ग) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

करोड़ रु. में						
क्र.सं.	राजयुया/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2.68	5.64	1.96	9.29	3.21
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.92	2.96	5.10	1.68	0.00
5	बिहार	0.00	1.16	1.02	0.23	1.42
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	0.00	0.39	1.00	2.18	1.18
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	5.68	7.26	7.55	1.61	3.50
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
12	गुजरात	1.00	28.96	14.05	27.30	28.99
13	हरियाणा	0.95	6.05	1.19	4.24	10.12
14	हिमाचल प्रदेश	0.21	0.63	0.65	0.78	0.46
15	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.21	0.17	0.06	0.00
16	झारखंड	0.00	0.51	0.85	0.08	3.08
17	कर्नाटक	0.07	2.49	6.02	9.45	3.45
18	केरल	0.00	0.94	10.10	4.91	6.14
19	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	8.13	2.38	10.40	1.70	1.60
22	महाराष्ट्र	2.25	6.23	5.72	9.52	17.06
23	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	ओडिशा	0.25	2.34	3.95	0.67	3.46
28	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
29	पंजाब	0.07	0.53	0.80	0.81	2.35
30	राजस्थान	0.01	1.00	2.50	2.10	0.78
31	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
32	तमिलनाडु	8.44	7.90	6.59	19.51	6.48
33	तेलंगाना	3.50	5.49	5.28	4.15	6.93
34	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	उत्तर प्रदेश	2.00	4.31	7.50	4.34	2.44
36	उत्तराखंड	0.01	4.62	1.70	1.58	0.44
37	पश्चिम बंगाल	5.11	2.80	4.50	1.98	0.15

*****